म.प्र. राज्य वक़्फ़ बोर्ड भोपाल के अधीन

कार्यालय कमेटी इंतेज़ामिया औक़ाफ़-ए-आम्मा, भोपाल

पुराना डी.पी.आई. भवन, ताजुल मसाजिद के पीछे, सुल्तानिया रोड, भोपाल

मैं, ... आत्मज ....

निवासी ....

वक़्फ़ कब्रस्तान वाक़े अक़ब इमारत हिन्दु अनाथालय (किसान सब्ज़ी मण्डी) स्थित नवबहार सब्ज़ी मण्डी, भोपाल की खुली भूमि जिसपर किसनों/सब्ज़ी विक्रेताओं/दुकानदारों द्वारा पूर्व से अस्थायी तौर पर व्यापार किया जा रहा है, को तेहबाज़ारी/संचालित दुकानों से वसूली हेतु ठेके पर लेने के लिये नीलामी में सम्मिलित होना चाहता हूं। मेरे द्वारा इस आवेदन के साथ संलग्न समस्त नियम व शर्तें पढ़ व समझ ली गई हैं और मुझे समस्त नियम व शर्तें स्वीकार व मान्य हैं।

नीलामी में सम्मिलित होने हेतु राशि रूपये राशि 10,000/-(दस हज़ार केवल) नक़द जमा करने को तैयार हूं।

अतः राशि रूपये 10,000/-(दस हज़ार केवल) जमा कर नीलामी में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करें।

संलग्न :- आधार कार्ड की छायाप्रति

प्रार्थी

दिनाँक : ....

हस्ताक्षर.......................................

नाम : ....

मो.नं. : ....

Kamal

प्राधिकृत अधिकारी
कमेटी इंतेजामिया
औक़ाफ़-ए-आम्मा,भोपाल

Scanned by CamScanner

म.प्र. राज्य वक़्फ़ बोर्ड भोपाल के अधीन

कार्यालय कमेटी इंतेज़ामिया औक़ाफ़-ए-आम्मा, भोपाल

पुराना डी.पी.आई. भवन, ताजुल मसाजिद के पीछे, सुल्तानिया रोड, भोपाल

वक़्फ़ कब्रस्तान वाक़े अक़ब इमारत हिन्दु अनाथालय (किसान सब्ज़ी मण्डी) स्थित नवबहार सब्ज़ी मण्डी, भोपाल की खुली भूमि को तेहबाज़ारी वसूली हेतु तीन वर्ष के लिये ठेके पर देने के हेतु

नियम व शर्तें

(1) वक़्फ़ पंजीयन क्र. 228/279, मिनजुमला खसरा माल 449, 450 रक़बा 6 एकड़ 74 डिसीमल है एवं एक अन्य खसरा क्र. 209 रक्बा 0.141 हेक्टेयर है एवं दिनांक 8.01.2018 खसरा नं. 449 के अंतर्गत रक़बा 2.73 एकड़ पंजीयन रजिस्टर के कॉलम नं. 6 व 7 पर दर्ज है।

(2) नगर पालिका निगम भोपाल में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 11.07.2001 के पालन में वक्फ बोर्ड की भूमि क्षेत्रफल 260x114 = 29690 वर्गफुट आयुक्त नगर निगम भोपाल द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड को यथास्थिति कब्जा दिनांक 11.10.2001 को सौंपा गया है। जिसपर किसनों/सब्ज़ी विक्रेताओं/दुकानदारों द्वारा पूर्व से अस्थायी तौर पर व्यापार किया जा रहा है, को तेहबाज़ारी/संचालित दुकानों से वसूली हेतु तीन वर्ष के लिये ठेके पर नीलाम किया जाना है, जो ठेका अनुबंध की दिनांक से तीन वर्ष के लिये रहेगा।

(3) ठेका नीलामी दिनांक 05 अक्टूबर, 2023 बरोज़ जुमेरात दोपहर 3 बजे कार्यालय म.प्र. वक़्फ़ बोर्ड, ताजुल मसाजिद के पीछे, भोपाल के मीटिंग हाल में होगी।

(4) बोलीदार को बोली लगाने से पूर्व आधार कार्ड की प्रति के साथ राशि रूपये 10,000/– नक़द नीलामीकर्ता के पास जमा करना होंगे।

(5) नीलामी की बोली रूपये 10,00,000/–(दस लाख केवल) वार्षिक से प्रारम्भ होगी। नीलामी की तीन बोलियां होंगी। तीसरी बोली में अंतिम नीलामी कर दी जायेगी।

(6) नीलामी समाप्त होने पर बोलीदार को कुल नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि उसी समय चेक/नक़द द्वारा कार्यालय औक़ाफ़–ए–आम्मा भोपाल में जमा करनी होगी। बोली के पूर्व जमा राशि रूपये 10,000/– का इसमें समायोजन कर दिया जायेगा।

(7) शेष बची 75 प्रतिशत राशि 25–25 प्रतिशत दो–दो माह के अंतराल से 6 माह के अन्दर जमा करना होगा। अन्यथा की स्थिति में उक्त ठेका अनुबंध स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी।

(8) एच–1, एच–2, एच–3 को छोड़ कर अन्य बोलीदारों की जमा राशि तत्काल वापस कर दी जायेगी।

(9) एच–1 द्वारा 25 प्रतिशत राशि जमा कर देने के पश्चात एच–2 व एच–3 की जमा राशि रूपये 10,000/– वापस कर दी जाएऐगी।

(10) यदि बोलीदार द्वारा उसी समय नीलाम राशि का 25 प्रतिशत जमा नहीं किया जाता है तो जमा राशि रूपये 10,000/– ज़प्त कर ली जायेगी एवं एच–2 की बोली स्वीकृत कर ली जाऐगी।

प्राधिकृत अधिकारी
कमेटी इंतेजामिया
औकाफ़–ए–आम्मा, भोपाल

हस्ताक्षर बोलीकर्ता

निरंत ... 2

Scanned by CamScanner

(11) ठेकेदार को एक वर्ष उपरांत द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में ठेके की राशि पर 5 प्रतिशत बढ़ा कर अदा करना होगी।

(12) विशेष स्थिति में अथवा ठेकेदार द्वारा ठेके अनुबंध की नियम व शर्तों का पालन न करने की स्थिति में ठेका अनुबंध निरस्त करने का अधिकार पूर्णतः कार्यालय औक़ाफ़–ए–आम्मा भोपाल को होगा। इसी प्रकार यदि ठेकेदार उक्त ठेका समाप्त करना चाहता है तो कार्यालय को कम–से–कम एक माह पूर्व लिखित में सूचित करेगा।

(13) किसी बोली को मंजूर करने या न करने का अधिकार कार्यालय औक़ाफ़–ए–आम्मा भोपाल को रहेगा।

(14) उक्त भूमि पर केवल किसान/सब्ज़ी विक्रेता को ही अस्थाई व्यापार करने की अनुमति होगी। विवाद की स्थिति में समस्त ज़िम्मेदारी ठेकेदार की स्वयं की होगी।

(15) ठेका प्राप्तकर्ता अथवा किसान/सब्ज़ी विक्रेता उक्त भूमि पर पक्का निर्माण न तो स्वयं करेगा और न ही किसी अन्य को करने देगा।

(16) उक्त भूमि की साफ़–सफाई की पूर्ण ज़िम्मेदारी ठेका प्राप्तकर्ता की होगी। (यदि नगर निगम द्वारा कोई शुल्क लगाया जाता है तो उसका भुगतान ठेकेदार को करना होगा)।

(17) ठेका प्राप्तकर्ता के द्वारा कोई ग़ैर क़ानूनी कार्य उक्त वक्फ भूमि पर किया जाता है तो ठेका निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी एवं ठेकेदार को किसी भी न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा।

(18) वाद–विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र म.प्र. राज्य वक़्फ़ बोर्ड भोपाल रहेगा।

नोट :– मेरे द्वारा उक्त समस्त नियम व शर्तों को समझ व पढ़ लिया गया है। मुझे उक्त समस्त नियम व शर्तें स्वीकार हैं।

प्रार्थी

दिनाँक : ....

हस्ताक्षर.......................................

नाम : ....

मो.नं. : ....

Akmal

प्राधिकृत अधिकारी
कमेटी इंतेजामिया
औक़ाफ़–ए–आम्मा,भोपाल

Scanned by CamScanner